

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ ए-6(ए)68-2010-1-पांच(26).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-195-2005-1-पांच (30), दिनांक 31 मार्च, 2006 के साथ पठित अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-79(31), विक-पांच, दिनांक 3 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 14, 15, 23 एवं 24, 25 तथा 26, 33ख, 37, 42, 43, 45, 56, 59 और 60, 69, 70 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	पदनाम	वृत्त का नाम	वार्ड/क्षेत्र का नाम/वार्ड का क्रमांक यदि कोई हो	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, पीथमपुर, वृत्त.	पीथमपुर वृत्त	(क) पीथमपुर नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र. (ख) राजस्व जिला धार की धरमपुरी तहसील.	पीथमपुर जिला धार.
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी, धार वृत्त.	धार वृत्त	(क) पीथमपुर नगरपालिका तथा धरमपुरी तहसील की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला धार को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	धार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23 एवं 24	वाणिज्यिक कर अधिकारी, मंदसौर वृत्त.	मंदसौर वृत्त	राजस्व जिला मंदसौर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	मंदसौर
25 एवं 26	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नीमच वृत्त.	नीमच वृत्त	राजस्व जिला नीमच को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	नीमच
33 ख	वाणिज्यिक कर अधिकारी, भोपाल वृत्त-6.	भोपाल वृत्त-6	राजस्व जिला रायसेन को छोड़कर भोपाल वृत्त-6 की स्थानीय सीमाओं को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-9-95-विक-पांच (32), दिनांक 21 जून, 1996 से अधिसूचित किया गया है.	भोपाल
33 ग	वाणिज्यिक कर अधिकारी, मण्डीदीप वृत्त.	मण्डीदीप वृत्त	रायसेन, गैरतगंज एवं बेगमगंज तहसील को छोड़कर राजस्व जिला रायसेन को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	मण्डीदीप जिला रायसेन.
37	वाणिज्यिक कर अधिकारी, विदिशा वृत्त.	विदिशा वृत्त	राजस्व जिला विदिशा तथा राजस्व जिला रायसेन की रायसेन, गैरतगंज एवं बेगमगंज, तहसील.	विदिशा
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीना वृत्त.	बीना वृत्त	राजस्व जिला सागर की बीना, खुरई एवं मालथोन तहसील.	बीना जिला सागर.
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सागर वृत्त.	सागर वृत्त	बीना, खुरई एवं मालथोन तहसील को छोड़कर राजस्व जिला सागर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	सागर
45	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कटनी वृत्त-1.	कटनी-वृत्त-1	1. नगर निगम कटनी के वार्ड क्रमांक 25 से वार्ड क्रमांक 45. 2. नगर निगम कटनी के क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला कटनी की मुडवारा तहसील. 3. राजस्व जिला कटनी की ढीमरखेड़ा, बहोरीबन्द तथा रीठी तहसील.	कटनी
45 क	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कटनी वृत्त-2.	कटनी वृत्त-2	1. नगर निगम कटनी के वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 24. 2. राजस्व जिला कटनी की विजयराघवगढ़, बड़वारा तथा बरही तहसील. 3. राजस्व जिला पन्ना की तहसील शाहनगर का उद्योगगिरी, पुरेना का क्षेत्र.	कटनी
56	वाणिज्यिक कर अधिकारी, गुना वृत्त.	गुना वृत्त	राजस्व जिला गुना को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	गुना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56 क	वाणिज्यिक कर अधिकारी, अशोकनगर वृत्त.	अशोकनगर वृत्त.	राजस्व जिला अशोकनगर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	अशोकनगर
59 एवं 60	वाणिज्यिक कर अधिकारी, मुरैना वृत्त.	मुरैना वृत्त	राजस्व जिला मुरैना तथा राजस्व जिला श्योपुर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	मुरैना
69	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नौगांव वृत्त.	नौगांव वृत्त	राजस्व जिला छतरपुर की नौगांव, महाराजपुर, लौंडी, चन्दला तथा गौरीहार तहसील.	नौगांव
69क	वाणिज्यिक कर अधिकारी, छतरपुर वृत्त.	छतरपुर वृत्त	1. राजस्व जिला छतरपुर की छतरपुर, बिजावर, बक्स्वाहा, बड़ामलहरा, धुवारा तथा राजनगर तहसील. 2. शाहनगर तहसील के उद्योगगिरी, पुरेना के क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला पन्ना को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	छतरपुर
70	वाणिज्यिक कर अधिकारी, शहडोल वृत्त.	शहडोल वृत्त	राजस्व जिला शहडोल को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	शहडोल
70क	वाणिज्यिक कर अधिकारी, अनूपपुर वृत्त.	अनूपपुर वृत्त.	राजस्व जिला अनूपपुर एवं उमरिया को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	अनूपपुर

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच-(26), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A6 (A)2010-1-V-(68).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. A-3-195-2005-1-V(30), dated 31st March, 2006 read with notification No. A-5-8-79(31) ST-V, dated 3 September, 1979:—

AMENDMENTS

In the Schedule to the said notification, for serial numbers 14, 15, 23 and 24, 25 and 26, 33B, 37, 42, 43,

45, 56, 59 and 60, 69, 70 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S.No. (1)	Designation (2)	Name of the Circle (3)	Name of the ward/Area, number of the ward, if any (4)	Head-quarter (5)
14	Commercial Tax Officer, Pithampur Circle	Pithampur Circle	(A) Area falling within the limits of Pithampur Nagarpalika. (B) Dharampuri Tahsil of Revenue District of Dhar.	Pithampur, District Dhar
15	Commercial Tax Officer, Dhar Circle.	Dhar Circle	(A) Area comprising of Revenue District of Dhar excluding the Area falling within the limits of Pithampur Nagarpalika and Dharampuri Tahsil.	Dhar
23	Commercial Tax Officer, and 24 Mandsaur Circle	Mandsaur Circle	Area comprising of Revenue District of Mandsaur.	Mandsaur
25 and 26	Commercial Tax Officer, Neemuch Circle.	Neemuch Circle	Area comprising of Revenue District of Neemuch.	Neemuch
33 B	Commercial Tax Officer, Bhopal, Circle-6	Bhopal Circle-6	Area comprising of local limits of Bhopal Circle-6 as is notified by this department notification No. A-5-9-95-ST-V(32), dated 21 June, 1996 excluding Revenue District of Raisen.	Bhopal
33C	Commercial Tax Officer, Mandideep Circle.	Mandideep Circle	Area comprising of Revenue District of Raisen excluding Raisen, Gairatganj and Begamganj Tahsil.	Mandideep, District Raisen
37	Commercial Tax Officer, Vidisha, Circle.	Vidisha Circle	Revenue District of Vidhisha and Raisen, Gairatganj and Begamganj Tahsil of Revenue District of Raisen.	Vidisha
42	Commercial Tax Officer, Beena Circle	Beena Circle	Beena, Khurai and Malthone Tahsil of Revenue District of Sagar.	Beena District Sagar.
43	Commercial Tax Officer, Sagar.	Sagar Circle	Area comprising of Revenue District of Sagar excluding Bina, Khurai and Malthone Tahsil.	Sagar
45	Commercial Tax Officer, Katni Circle-1	Katni Circle-1	1. Ward No. 25 to ward No. 45 of Municipal Corporation of Katni. 2. Mudwara Tahsil of Revenue District of Katni excluding the area of Municipal Corporation of Katni. 3. Dhimarkheda, Bahoriband and Rithi Tahsil of Revenue District of Katni.	Katni

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45A	Commercial Tax Officer, Katni Circle-2	Katni Circle-2	1. Ward No. 1 to ward No .24 of Municipal Corporation of Katni. 2. Vijayraghgarh, Barwara and Barhi Tahsil of Revenue District of Katni. 3. Area of Udyogiri, Purna of Tehsil Shahnagar of Revenue District of Panna.	Katni
56	Commercial Tax Officer, Guna Circle	Guna Circle	Area comprising of Revenue District of Guna.	Guna
56A	Commercial Tax Officer, Ashoknagar Circle	Ashoknagar Circle	Area comprising of Revenue District of Ashoknagar.	Ashoknagar
59 and 60	Commercial Tax Officer, Morena Circle	Morena Circle	Area comprising of Revenue Districts of Morena and Sheopur.	Morena

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ ए-6(ए)68-2010-1-पांच(27).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी, उसके (सारणी) कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की जाएं और उन पर अधिरोपित किए जाएं तथा उनका मुख्यालय उक्त सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर रहेगा:—

सारणी

अनु क्रमांक (1)	पदनाम (2)	कार्यालय का नाम (3)	क्षेत्र (4)	मुख्यालय (5)
1	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर-1	परिक्षेत्र, इन्दौर-1	इन्दौर संभाग-1, इन्दौर संभाग-2 तथा इन्दौर संभाग-3 की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले वृत्तों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	इन्दौर
2	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर-2	परिक्षेत्र, इन्दौर-2	उज्जैन संभाग, रतलाम संभाग तथा खण्डवा संभाग की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले वृत्तों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	इन्दौर
3	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल	परिक्षेत्र, भोपाल	भोपाल संभाग-1 तथा भोपाल संभाग-2 की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	भोपाल
4	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर	परिक्षेत्र, जबलपुर	जबलपुर संभाग-1, जबलपुर संभाग-2 सतना संभाग, छिन्दवाड़ा संभाग तथा सागर संभाग की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले वृत्तों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	जबलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर	परिक्षेत्र, ग्वालियर	ग्वालियर संभाग-1 तथा ग्वालियर संभाग-2 की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले वृत्तों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	ग्वालियर

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच-(27), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A6 (A)68-2010-1-V(27).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby directs that the officers mentioned in column (2) of the Table below, shall exercise such powers as may be conferred and perform such duties as may be imposed by or under the said Act, in the area specified in column (4) thereof and their headquarters shall be at the places specified in column (5) of said Table:—

TABLE

S. No. (1)	Designation (2)	Name of the office (3)	Area (4)	Head quarter (5)
1	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Indore-1	Zone Indore-1	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Indore Division-1, Indore Division-2 and Indore Diveision-3	Indore
2	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Indore-2	Zone Indore-2	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Ujjain Division, Ratlam Division and Khandwa Division.	Indore
3	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Bhopal	Zone Bhopal	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Bhopal Division-1, and Bhopal Division-2.	Bhopal
4	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Jabalpur.	Zone Jabalpur	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Jabalpur Division-1, Jabalpur Division-2 Satna Division, Chindhwada and Sagar Division.	Jabalpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Gwalior	Zone Gwalior	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Gwalior Division-1, and Gwalior Division-2.	Gwalior

This notification shall be effective from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ ए-6(ए)68-2010-1-पांच(28).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 2 के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-10-95-विक-पांच(74), दिनांक 21 सितम्बर, 1995 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 के अधीन नियुक्त नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में दर्शित वृत्त में पदस्थ हैं, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी के समस्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनु क्रमांक	पदनाम	क्षेत्र	कार्यालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी 3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला भोपाल	वृत्तिकर वृत्त, भोपाल	भोपाल
2	1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी 3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला ग्वालियर	वृत्तिकर वृत्त, ग्वालियर	ग्वालियर
3	1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी 3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला इन्दौर	वृत्तिकर वृत्त, इन्दौर	इन्दौर
4	1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी 3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला जबलपुर	वृत्तिकर वृत्त, जबलपुर	जबलपुर
5	1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी 3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला भोपाल ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर को अपवर्जित करते हुए, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में यथा विनिर्दिष्ट वृत्त से मिलकर बना क्षेत्र.	अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-79-विक-पांच (39) भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1979 में यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक कर वृत्त.	अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-79-विक-पांच (39) भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1979 में यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक कर वृत्त मुख्यालय.

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच-(28), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A6 (A)68-2010-1-V-(28).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995) and in supersession of this department's Notification No. A-5-10-95-ST-V(74), dated 21 September, 1995, the State Government, hereby, authorizes the officers appointed under Section 3 of Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), as specified in column (2) of the Table below to perform all the functions of the Professional Tax Assessing Authority under the said Act within the area as specified in column (3), posted at circle shown in column (4) of the table below, namely:—

TABLE

S. No.	Designation	Area	Name of office	Head quarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax. (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer.	Revenue District Bhopal.	Professional Tax Circle, Bhopal.	Bhopal
2.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax. (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer.	Revenue District Gwalior.	Professional Tax Circle, Gwalior.	Gwalior
3.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax. (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer.	Revenue District Indore.	Professional Tax Circle, Indore	Indore
4.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax. (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer.	Revenue District Jabalpur.	Professional Tax Circle, Jabalpur.	Jabalpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax. (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer.	Area Comprising of the Circle as specified in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 excluding Revenue District Bhopal, Gwalior, Indore and Jabalpur.	Commercial Tax Circle, as specified in the notification No. A-5-8 79ST-V(39) Bhopal dated 3rd September 1979.	Commercial Tax Circle, head Quarter as specified in the notification No. A-5-8-79ST-V (39), Bhopal dated 3rd September 1979.

This notification shall be effective from 1st April, 2011.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ ए-6(ए)68-2010-1-पांच(29).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, उसके (सारणी) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो उन्हें प्रदत्त की गई हों और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किए हों और उनका मुख्यालय उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर रहेगा :—

सारणी

अनु क्रमांक	पदनाम	क्षेत्र	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग-1.	इन्दौर वृत्त- 1, 2, 5, 14 तथा वृत्त-15 की स्थानीय सीमाओं में समाहित क्षेत्र जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्र. ए-5-8-96-विक-पांच (13) दिनांक 31 मार्च, 1997 के अधीन अधिसूचित किया गया है.	इन्दौर
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग-2.	इन्दौर वृत्त- 3, 4, 6, 10 तथा वृत्त-11 की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्र. ए-5-8-96-विक-पांच (13) दिनांक 31 मार्च, 1997 के अधीन अधिसूचित किया गया है.	इन्दौर
3	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग-3.	इन्दौर वृत्त- 7, 8, 9, 12 तथा वृत्त-13 की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्र. ए-5-8-96-विक-पांच (13) दिनांक 31 मार्च, 1997 के अधीन अधिसूचित किया गया है.	इन्दौर
4	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, खण्डवा संभाग.	राजस्व जिला खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)
5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, उज्जैन.	राजस्व जिला उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ तथा देवास को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	उज्जैन
6	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रतलाम संभाग.	राजस्व जिला रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ और अलीराजपुर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	रतलाम
7	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग-1.	राजस्व जिला भोपाल को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	भोपाल
8	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग-2.	राजस्व जिला बैतूल, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद हरदा तथा रायसेन को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	भोपाल
9	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ग्वालियर संभाग-1.	राजस्व जिला ग्वालियर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	ग्वालियर
10	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ग्वालियर संभाग-2.	राजस्व जिला भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना तथा अशोकनगर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	ग्वालियर
11	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-1.	राजस्व जिला जबलपुर को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र	जबलपुर
12	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2.	राजस्व जिला कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, उमरिया, अनूपपुर, डिण्डोरी तथा शहडोल को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	जबलपुर
13	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, छिन्दवाड़ा संभाग.	राजस्व जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	छिन्दवाड़ा
14	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सतना संभाग.	राजस्व जिला सतना, रीवा, सीधी तथा सिंगरौली को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	सतना
15	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर संभाग.	राजस्व जिला सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना तथा टीकमगढ़ को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	सागर

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच-(29), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A6 (A)68-2010-1-V-(29).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, directs that the officers specified in column (2) of the Table below shall exercise such powers as have been conferred upon them and perform such duties as have been imposed upon them by or under the said Act, in the area specified in column (3) thereof and their headquarter shall be at the places specified in column (4) of said Table :—

TABLE

S.No. (1)	Designation (2)	Area (3)	Headquarter (4)
1	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Indore-1.	Area comprising of local limits of Indore Circle- 1, 2, 5, 14 and circle-15 as notified under this department notification A-5-8-96-ST-V(13), dated 31 March, 1997.	Indore
2	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Indore-2.	Area comprising of local limits of Indore Circle- 3, 4, 6, 10 and circle-11 as notified under this department notification A-5-8-96-ST-V(13), dated 31 March, 1997.	Indore
3	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Indore-3.	Area comprising of local limits of Indore Circle- 7, 8, 9, 12 and circle-13 as notified under this department notification A-5-8-96-ST-V(13), dated 31 March, 1997.	Indore
4	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Khandwa.	Area comprising of the Revenue district of Khandwa, Burhanpur, Badwani and Khargaon.	Khandwa
5	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Ujjain.	Area comprising of the Revenue district of Ujjain, Shajapur, Rajgarh and Dewas.	Ujjain
6	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Ratlam.	Area comprising of the Revenue district of Ratlam, Mandsour, Neemach, Dhar, Jhabua and Alirajpur.	Ratlam
7	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Bhopal, Division-1.	Area comprising of the Revenue district of Bhopal.	Bhopal
8	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Bhopal, Division-2.	Area comprising of the Revenue district of Betul, Sehore, Vidisha, Hoshangabad, Harda and Raisen.	Bhopal
9	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Gwalior, Division-1.	Area comprising of the Revenue district of Gwalior.	Gwalior

(1)	(2)	(3)	
10	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Gwalior-2	Area comprising of the Revenue district of Bhind, Morena, Sheopur, Shivpuri Datia, Guna and Ashoknagar.	Gwalior
11	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Jabalpur, Division-1.	Area comprising of the Revenue district of Jabalpur.	Jabalpur
12	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Jabalpur, Division-2.	Area comprising of the Revenue district of Katni, Narsingpur, Mandla, Umariya, Anuppur, Dindori and Shahdol.	Jabalpur
13	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Chhindwara.	Area comprising of the Revenue district of Chhindwara, Seoni and Balaghat.	Chhindwara
14	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Satna.	Area comprising of the Revenue district of Satna, Rewa, Sidhi and Singroli.	Satna
15	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Sagar.	Area comprising of the Revenue district of Sagar, Damoh, Chhatarpur, Panna and Tikamgarh.	Sagar.

This notification shall be effective from 1st April, 2011.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ ए-6(ए)68-2010-1-पांच(30).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-6-(ए)-32-2007-एक-पांच, दिनांक 11 अगस्त, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारी, उसके (सारणी) कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की जाएं और उन पर अधिरोपित किए जाएं तथा उनका मुख्यालय उक्त सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर रहेगा:—

सारणी

अनु क्रमांक	पदनाम	कार्यालय का नाम	क्षेत्र	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ऑडिट विंग, इन्दौर-1.	ऑडिट विंग, इन्दौर-1	इन्दौर संभाग-1, इन्दौर संभाग-2 तथा इन्दौर संभाग-3 की अधिकारिता के अधीन आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करते हुए क्षेत्र.	इन्दौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ऑडिट विंग, इन्दौर-2.	ऑडिट विंग, इन्दौर-2	उज्जैन संभाग, रतलाम संभाग तथा खण्डवा संभाग की अधिकारिता के अधीन आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करते हुए क्षेत्र.	इन्दौर
3	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ऑडिट विंग, भोपाल.	ऑडिट विंग, भोपाल	भोपाल संभाग-1 तथा भोपाल संभाग-2 की अधिकारिता के अधीन आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करते हुए क्षेत्र.	भोपाल
4	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ऑडिट विंग, जबलपुर.	ऑडिट विंग, जबलपुर	जबलपुर संभाग-1 जबलपुर संभाग-2, सतना संभाग, छिन्दवाड़ा तथा सागर संभाग की अधिकारिता के अधीन आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करते हुए क्षेत्र.	जबलपुर
5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, ऑडिट विंग, ग्वालियर.	ऑडिट विंग, ग्वालियर	ग्वालियर संभाग-1 तथा ग्वालियर संभाग-2 की अधिकारिता के अधीन आने वाले वृत्तों का समाविष्ट करते हुए क्षेत्र.	ग्वालियर

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. ए. 6(ए)-68-2010-1-पांच-(30), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F-A 6 (A)68-2010-1-V(30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in supersession of this department notification No.A 6 (A) 32-2007-1-V, dated 11 August, 2008, the State Government, hereby directs that the officers mentioned in column (2) of the Table below, shall exercise such powers as may be conferred and perform such duties as may be imposed by or under the said Act, in the area specified in column (4) thereof and their headquarters shall be at the places specified in column (5) of said Table:—

TABLE

S. No.	Designation	Name of the office	Area	Head quarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputy Commissioner, Commercial Tax, Audit wing, Indore-1.	Audit Wing, Indore-1	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Indore Division-1, Indore	Indore

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Deputy Commissioner, Commercial Tax, Audit Wing, Indore-2.	Audit Wing, Indore-2.	Division-2 and Indore Division-3. Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Ujjain Division-Ratlam Division and Khandwa Division.	Indore
3	Deputy Commissioner, Commercial Tax, Audit Wing, Bhopal.	Audit Wing, Bhopal.	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Bhopal Division-1, and Bhopal Division-2.	Bhopal
4	Deputy Commissioner, Commercial Tax, Audit Wing, Jabalpur.	Audit Wing, Jabalpur.	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Jabalpur Division-1, Jabalpur Division-2, Satna Division, Chindwada and Sagar Division.	Jabalpur
5	Deputy Commissioner, Commercial Tax, Audit Wing, Gwalior.	Audit Wing, Gwalior.	Area comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Gwalior Division-1, and Gwalior Division-2.	Gwalior

This notification shall be effective from 1st April, 2011.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.